सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय

जिला मीरजापुर (उ० प्र०) 231001

विषय- प्रतिपक्षियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के संगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट

महोदय,

प्रार्थिनी अनारकली देवी जो कि अंगुठाछाप है और उनके पति जिनको दृष्टिदोष है हल्का लेखपाल मनमोहन कुमार और अन्य द्वारा विश्वास में लेकर धोखे से सादे पेपर पर अंगुठा और पति का हस्ताक्षर कराया गया।

घटना का विवरण

घटना की तिथि - 25|02|2025 समय 12:00 बजे दोपहर

स्थान - दुबार बाजार, दुबार कला, थाना लालगंज, मीरजापुर

विपक्षीयों का विवरण

① हल्का लेखपाल - मनमोहन कुमार

② रमाशंकर पटेल - चकी बगारिया, लालगंज मीरजापुर

③ विनोद कुमार उर्फ डाक्टर पिता रमाशंकर पटेल पता उपरोक्त

④ दिनेश कुमार उर्फ ~~डीबू~~ पिता रमाशंकर पटेल पता उपरोक्त

⑤ व अन्य

श्रीमान जी कृपया थाना अध्यक्ष लालगंज को निर्देशित करे की उपरोक्त के विरुद्ध अपराधिक विश्वासघात धोखाधडी व जमीन हडपने के संगत धाराओं में (भारतीय न्याय संहिता) मुकदमा दर्ज करे। जिसके लिए प्रार्थिनी सर्दैव आपका आभारी रहेगी।

राजकुमार गुप्ता

नि० अ० अनारकली

दिनांक 25.2.2025

स्थित ग्राम दुवारकलां तथा उपरोध परगना कंतित तहसील लालगंज। जिला मीरजापुर
में अनारकली पुत्री बदेरू व रमाशंकर पुत्र हीरालाल द्वारा आपस मे समझौता हुआ
कि आराजी नं. 1240 में, रमाशंकर द्वारा अनारकली को 20×16.4 व 18.7×16.4 चारो
भुजा मे स्वेच्छानुसार दिया गया तथा शर्त रहा कि पूरब तरफ द्वार नही खोलेगें। तथा
अनारकली का तथा दिवाल सरहद हमेशा के लिए रहेगा। उभय पक्ष सहमत होकर
हस्ताक्षर बनाया उपरान्त पंचो द्वारा गवाह के रूप मे हस्ताक्षर बनाया।

प्रथम पक्ष

विनोद कुमार

बाले रमाशंकर

दिनेश कुमार

द्वितीय पक्ष

राजकुमार गुप्ता

गवाह

[illegible]

S/O [illegible]

R/O [illegible]

[illegible]

भरत लाल

?P.

दिनांक 25-2-2025

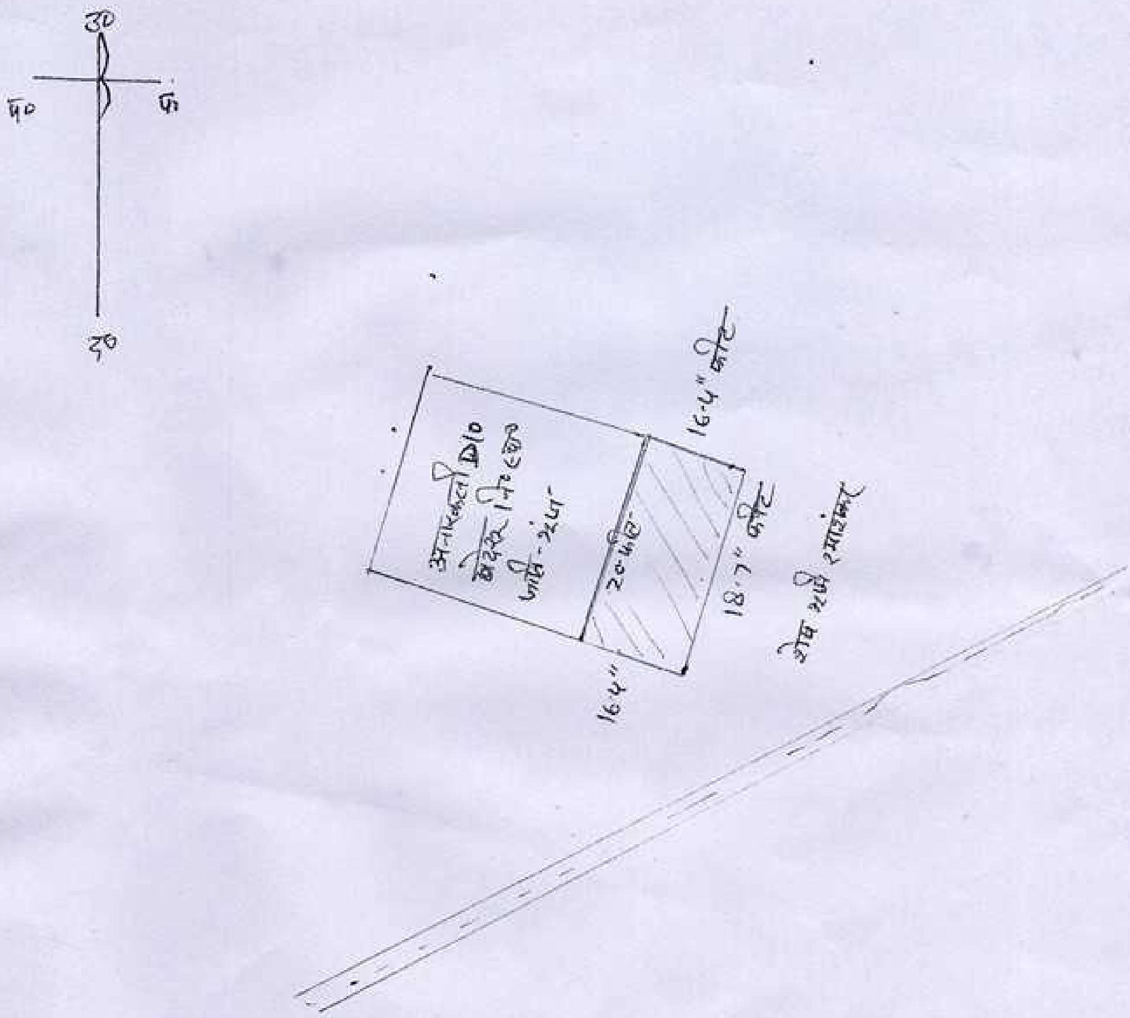

लम्बाई - 20 · चौड़ाई 16·4
" 18·7 चौड़ाई 16·4

चौहद्दी

उत्तर - भरतलाल
दक्षिण - गंगाधर का कच्चा मकान (चक्की)
पूरब - शेष भूमि बाद सड़क (रामशंका)
पश्चिम - अनारकली का पुराना मकान

नि० अं० अनारकली

विनोद कुमार
बाहिरमाशंकर
दिनेश कुमार

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।

पत्रांकः आईजीआरएस-03/2025

दिनांकः मार्च 29 ,2025

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3
(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्याः 60000250063304 दिनांक 25-03-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदक श्री शिवम गुप्ता पुत्र राजकुमार निवासी लोहदी रोड ककरहवा, मीरजापुर हालपता ग्राम दुबार कला थाना लालगंज, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदक श्री शिवम गुप्ता उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, जनपद मीरजापुर द्वारा करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

Nitesh 29/3

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

मीरजापुर।

IGRS सन्दर्भ संख्या 60000250043797, 60000250063304, 60000250046532 की जांच आख्या-

1- आवेदक/ आवेदिका का नाम पता व मो0नं0- श्री शिवम गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी लोहदी रोड ककरहवा मीरजापुर हालपता ग्राम दुबार कला थाना लालगंज जनपद मीरजापुर मो0नं0-8756521496।

2. विपक्षी का नाम, पता व मोबाइल नम्बर- दिनेश उर्फ दीपू पुत्र रमाशंकर आदि निवासी चर्की बगरिहा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

3. जांच करने वाले अधिकारी का नाम व पद- ओम प्रकाश सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, आपरेशन मीरजापुर।

4. प्रकरण में FIR दर्ज है, तो FIR का पूर्ण विवरण- निल।

5. विवाद की श्रेणी (जमीन/घरेलू/ अपराधिक अन्य विवाद)- जमीनी विवाद।

6. शिकायत/आरोप का संक्षिप्त विवरण- प्रार्थना पत्र में मुख्यतः विपक्षीगणों के विरुद्ध धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में एफआईआर पंजीकृत करने के सम्बन्ध में आरोप अंकित।

7. आवेदक/शिकायतकर्ता का बयान- आवेदक से पूछताछ की गयी तो बताया कि हल्का लेखपाल व अन्य लोग मिलकर विश्वास में लेकर सादे पेपर पर अंगुठा का निशान व हस्ताक्षर बनवा लिये।

8. विपक्षीगण के बयान- हल्का लेखपाल द्वारा बताया गया कि आवेदक के तरफ से जमीन की कब्जेदारी को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था मौके पर जाकर दोनों पक्षों को एक साथ बिठाकर तथा अभिलेख को देखकर दोनों पक्षों की सहमति से समझौता पत्र लिखा गया है।

9. स्वतन्त्र साक्षी का बयान(नाम, पता, मो०नं०)- निल।

10. विवाद को लेकर पूर्व में अपराध हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो का पूर्ण विवरण जैसे FIR, NCR, 151/107/116 CrPc अथवा 170/126/135 B.N.S.S आदि कार्यवाही- निल।

11. यदि प्रकरण भूमि विवाद से सम्बन्धित है तो मौके पर गयी संयुक्त टीम व राजस्व टीम का नाम व मोबाईल नम्बर व राजस्व की आख्या सहित कृत कार्यवाही का परिणाम अंकित किया जाये- हल्का लेखपाल व कानूनगो द्वारा मौके जाकर जांच की गयी।

12. विवाद की दशा में धारा 107/116 CrPc अथवा 126/135 B.N.S.S की कार्यवाही में कितनी धनराशि के मुचलकों से पाबन्द किया गया, धारा 117 CrPc की पाबन्दी का आदेश संलग्न कर पर्ण विवरण- दिनांक 22.01.2025 को शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत उभयपक्षों का चालान अन्तर्गत धारा 126, 135 बीएनएसएस मे किया गया है।

13. विवाद को लेकर शरीर सम्बन्धी अपराध कारित हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो विवेचनात्मक कार्यवाही का विवरण- निल।

14. प्रकरण में क्या वादी या किसी पक्ष द्वारा UP-112 को सुचित किया गया है या नहीं-नही।

15. प्रकरण में धारा 151 CrPc अथवा 170 B.N.S.S की कार्यवाही एक पक्षीय या द्विपक्षीय की गयी तथा आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी तिथि को प्रस्तुत किया गया- निल।

16. प्रकरण के सम्बन्ध में यदि मा0 न्यायालय में कोई वाद प्रचलित है, तो मा0न्या0 नाम/वाद संख्या/वाद की अद्यतन स्थिति पूर्ण विवरण- निल।

17. जाँच अधिकारी के मौके पर जाने का दिनांक तथा गुगल शीट फोटो (अक्षांश देशान्तर सहित)- अक्षांश-24.5813, देशान्तर-82.2488।

18. प्रार्थना पत्र पहली बार दिया गया है या पूर्व में दिया दा चुका है यदि पूर्व में दिया गया है तो उसका तिथिवार विवरण तथा परिणाम- कई बार।

19. प्रकरण में यदि कोई समझौता हुआ है तो समझौते की प्रति संलग्न करे- हाँ, समझौता की छायाप्रति संलग्न है।

20. धोखाधड़ी के मामलों में पैसे लेने का पूर्ण विवरण – निल।

21. जमीनी बैनामा धोखाधड़ी में तहसील रजिस्टर्ड कार्यालय से आख्या प्राप्त कर करते हुए अपलोड करें- निल।

22. मोबाईल चोरी/गुम हो जाने के प्रकरण में सर्विलांश शाखा को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें- निल।

23. पति-पत्नी सम्बन्धी घरेलू विवादों में सुलह समझौता मध्यस्थता केन्द्र को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति सलग्न कर पूर्ण विवरण अंकित करें- निल।

24. जाँच आख्या/ विवरण/ सारांश- सन्दर्भित प्रकरण का जांच के क्रम में सम्बन्धित से की गयी आवश्यक पूछताछ, अभिलेख व थानाध्यक्ष लालगंज से प्राप्त आख्या के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक शिवम गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी लोहदी रोड ककरहवा मीरजापुर हालपता ग्राम दुबारकला थाना लालगंज जनपद मीरजापुर का मूल निवासी है। आवेदक द्वारा पूर्व में आईजीआरएस पोर्टल पर दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच कर आख्या प्रेषित की गयी थी, जिस पर आवेदक द्वारा असंतुष्ट फीडबैक दिया गया। असन्तुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर उच्चाधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र की पुनः जांच कर आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

पुनः जांच के क्रम में आवेदक के प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में गहराई से जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि आवेदक का ननिहाल ग्राम दुबार कला में है जहां पर उसकी नानी स्व0 रामदुलारी का खपरैल का मकान है जो अपने मृत्यु से पूर्व उसको आवेदक की माँ अनारकली को दे दी गयी थी। उक्त मकान का मेन दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर है, पूरब तरफ कुछ जमीन बची हुई है, उसी के बगल में खडन्जा है, खड़न्जा के उस पार छुटी जमीन पर विपक्षी दिनेश उर्फ दीपू गाय बाधता है। इसी जमीन को आवेदक खाली कराना चाहता है। उपरोक्त जमीन की नाप राजस्व विभाग द्वारा मौके पर जाकर किया गया तथा अभिलेखीय अवलोकन से पाया गया कि उपरोक्त जमीन नवीन परती है और मिलजुमला नम्बरान है जिसमें विपक्षी रमाशंकर का नाम है। दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमती से गवाहों की उपस्थिति में समझौता पत्र पर संयुक्त हस्ताक्षर से बनाये गये हैं **(सुलभ सन्दर्भ हेतु समझौता की छायाप्रति संलग्न है)**। उपरोक्त समझौता के सम्बन्ध में गवाहों से पूछने पर बताये कि जबरदस्ती किसी भी पक्ष से हस्ताक्षर नहीं बनवाये गये हैं, मौके पर आवेदक के माता-पिता मौजूद थे जिन्होने स्वेच्छा से हस्ताक्षर व अंगूठा लगाये थे। जांच से सादे पेपर पर बनवाने का आरोप प्रमाणित नहीं हो रहा है। उक्त के सम्बन्ध में हल्का लेखपाल से जरिये दूरभाष मो0नं0-9450323401 पर वार्ता की गयी तो लेखपाल मनमोहन द्वारा बताया गया उक्त जमीन आराजी नं0-1240 मि0 रमाशंकर पटेल की है जिन्होने ही सहमति/रजामन्दी से 20X16.4 व 18.7x16.4 की जमीन अनारकली को घर बनवाने हेतु दिया गया था आवेदक की वहां पर कोई भी जमीन नहीं है और न ही मेरे द्वारा किसी से जबरदस्ती सादे पेपर पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशान लगवाया गया था। अब तक की जांच से आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में लगाये गये अन्य आरोपों के सम्बन्ध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं पाये जा रहे हैं।

जांच आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

29/3/25

दिनांक:मार्च ,2025

अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन,
मीरजापुर।